



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26802/2026

फरमान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार, केशव हरि

दीक्षित, पुरुषोत्तम दीक्षित

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री वी.पी. त्रिपाठी, राज्य-विपक्षी पक्षकार की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री फैजान सिद्दीकी को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 438/2026, अंतर्गत धारा 108, 191(2), 190, 115(2), 324(4), 351(3) बी.एन.एस., थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित तौर पर यह घटना 22.05.2026 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.05.2026 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई अत्यधिक देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक है। मृतक के बारे में आरोप है कि उसने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर सात चोटें पाई गईं और चिकित्सक ने राय दी है कि मृत्यु का कारण रक्तस्रावी आघात था। आत्महत्या संबंधी नोट में आवेदक का नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार धारा 108 बी.एन.एस. के अपराध के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते हैं। आवेदक ने, किसी भी प्रकार से, मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं था। केवल मौखिक दुर्व्यवहार, उत्पीड़न अथवा धमकी देने के आरोप, यदि उनके साथ आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई सकारात्मक कृत्य, जानबूझकर सहायता या ऐसा निकटवर्ती आचरण न हो जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए विवश किया हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं करते हैं। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654/2017, 03.10.2024 को निर्णीत, तथा अभिनव मोहान देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024, 18.08.2025 को निर्णीत, मामलों के निर्णयों पर भरोसा किया है। सह-अभियुक्त रेहान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26624/2026, रेहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित दिनांक 03.08.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। विवेचना पूरी हो चुकी है तथा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 17.06.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शाकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु अभिलेख से संबंधित उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन के पश्चात, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, कथित आत्महत्या नोट तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, बी.एन.एस. की धारा 108 के अपराध को गठित करने वाले आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते हैं। आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई निकटवर्ती अथवा प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है जिसे आत्महत्या के लिए उकसावे, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता के रूप में माना जा सके।

इसके अलावा, आवेदक एक माह से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप-पत्र दाखिल हो जाने के बाद विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तथा राज्य की ओर से ऐसी कोई युक्तिसंगत आशंका भी सामने नहीं लाई गई है कि जमानत पर रिहा किए जाने पर

आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा, विचारण में विलंब करेगा अथवा गवाह को धमकाएगा, अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

6. उपर्युक्त मामले में सम्मिलित, आवेदक- फरमान को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) वह विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) वह अभियोजन के साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा; तथा,
- (iii) वह अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अगस्त 03, 2026